फैक्स

संख्या–1435पी/छः-पु-3-2013- 24पी/2012

प्रेषक ,

जावेद उस्मानी ,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

(1) समस्त मण्डलायुक्त,उ०प्र० ।
(2) समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक,उ०प्र० ।
(3) समस्त परिक्षेत्र पुलिस उपमहानिरीक्षक,उ०प्र०।
(4) समस्त जिला मैजिस्ट्रेट,उ०प्र० ।
(5) समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,उ०प्र० ।

गृह(पुलिस) अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 16 मार्च, 2013

विषयः प्रदेश में साम्प्रदायिक घटनाओं / विवादों का चिन्हीकरण करते हुये उन पर प्रभावी नियंत्रण करने के बारे में जिला मैजिस्ट्रेट / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक के दायित्वों के सम्बन्ध में ।

महोदय,

प्रदेश की जनता को एक सुरक्षित परिवेश प्रदान करने के क्रम में सुदृढ़ साम्प्रदायिक सौहार्द कायम करना वर्तमान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है । साम्प्रदायिक सदभाव प्रत्येक दशा में बना रहना चाहिए । इसमें किसी भी प्रकार की चूक को अत्यन्त गम्भीरता से लिया जायेगा । शासन स्तर पर अनुभव किया जा रहा है कि जनपदों में साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से चिन्हित विवादों के निस्तारण की कार्यवाही योजनाबद्ध रुप से निष्पादित नहीं की जा रही है तथा साम्प्रदायिक सौहार्द खराब करने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही नहीं हो पा रही है । इसके कारण प्रदेश में छोटी बड़ी साम्प्रदायिक घटनायें विगत दिनों में घटित हुई हैं ।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में साम्प्रदायिक सौहार्द बनाये रखने के लिये समय-समय पर शासनादेश / निर्देश जारी किये गये हैं । इस सम्बन्ध में पुनः निर्देशित किया जाता है किः-

1. साम्प्रदायिक तत्वों और समस्या उत्पन्न करने वाले अपराधियों को चिन्हांकित कर सूची अद्यतन की जाये और उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित की जाये, जिससे कि उनका मनोबल क्षीण हो सके । ऐसे चिन्हांकित व्यक्तियों

के ऊपर सर्विलान्स के माध्यम से नजर रखी जाये और आवश्यकता पड़ने पर इलेक्ट्रानिक सर्विलान्स का भी प्रयोग किया जाये।

2. जनपदों में साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से चिन्हांकित छोटे से छोटे विवादों का भी निस्तारण सम्बन्धित अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा समयबद्ध एवं योजनाबद्ध तरीके से किया जाये। साम्प्रदायिक विवादों से सम्बन्धित विगत 3 वर्षों की साम्प्रदायिक घटनाओं की लम्बित विवेचनायें पूर्ण करायी जाये तथा प्रभावशाली पैरवी करते हुए इनमें संलिप्त अपराधियों को सजा दिलायी जाये।

3. पुलिस तथा मैजिस्ट्रेटों को व्यापक जन सम्पर्क करते हुए अपना अभिसूचना तंत्र विकसित करना चाहिये, जिससे किसी भी ऐसी अप्रिय घटनाओं के घटित होने से पूर्व उसकी सूचना प्राप्त हो जाये और परिस्थितियों पर नियंत्रण किया जा सके। जुलूस , त्योहार, मेले आदि के अवसर पर प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था दूरदृष्टि के साथ सुनिश्चित की जाये। फिर भी, किसी स्थान पर यदि कोई साम्प्रदायिक घटना होती है तो उसे तत्काल नियंत्रित करते हुये रोका जाना चाहिए। यदि परिस्थितियों को तत्काल नियंत्रित करने में अधीनस्थ अधिकारीगण असफल रहते है तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

4. दंगों में शामिल और दंगों को भड़काने वालों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाये और उनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, गैंगस्टर एक्ट, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम जैसे कठोर कानूनों का प्रयोग किया जाये। इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि घटना के फलस्वरुप निर्दोष व्यक्तियों को झूठे मुकदमों में न फंसाया जाये। इसी प्रकार दहशतगर्दी की आड़ में निर्दोष व्यक्तियों क्को फंसाने की प्रवृति पर भी प्रभावी अंकुश लगाया जाये।

5. साम्प्रदायिक घटनाओं के अभियुक्तों के शस्त्र लाइसेन्सों को भी तत्काल निलम्बित और निरस्त करने पर विचार किया जाये। दंगा नियंत्रण योजना को जिला स्तर पर अद्यावधिक करते हुए उनका समय-समय पर रिहर्सल भी करते रहा जाये ताकि साम्प्रदायिक तत्वों का मनोबल गिरा रहें।

प्रदेश में साम्प्रदायिक सौहार्द कायम रखने की सर्वोच्च प्राथमिकता के दृष्टिकोण से समय- समय पर जारी शासनादेशों एवं दिशा निर्देशों के बावजूद भी प्रदेश में साम्प्रदायिक घटनायें घटी हैं जिससे निजी एवं शासकीय सम्पत्ति, व जन एवं धन की क्षति हुई है। अतः जनपद के जिलाधिकारी / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक की इस सम्बन्ध में पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे प्रत्येक दशा में अपने-अपने जनपदों में साम्प्रदायिक सौहार्द को

खराब करने वाली छोटी - छोटी घटनाओं पर भी सतत् दृष्टि बनाये रखेंगे, ताकि वे बड़ी घटनाओं का कारण न बन सके। इसके बाद भी **यदि जनपद में साम्प्रदायिक घटना घटित होती है तो ऐसी स्थिति में उस जनपद के जिलाधिकारी / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक के विरुद्ध इसे प्रतिकूलता के साथ लिया जायेगा तथा उनके खिलाफ कठोरतम कार्यवाही की जायेगी।**

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।

भवदीय,

(जावेद उस्मानी)
मुख्य सचिव।

संख्या एवं तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- पुलिस महानिदेशक ,उ०प्र०,लखनऊ।
2- अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था/अभियोजन/अभिसूचना, उ०प्र०।
3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(आर०एम०श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव।